[2015] 11 एस. सी. आर 878

जैल्स एजुकेशन सोसाइटी और अन्य

बनाम

आर. टी. भिटाले

2006 की सिविल अपील सं. 4606

30 सितंबर, 2015

[जगदीश सिंह खेहर और आर. भानुमती, न्यायाधिपतिगण]

महाराष्ट्र के निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977- धारा 9- प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का पद- उत्तरदाता विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था- उन्हें नियुक्ति पत्र में निर्धारित अवधि समाप्ति पर बर्खास्त कर दिया गया था- उत्तरदाता ने बर्खास्तगी को इस आधार पर चुनौती दी कि उनकी नियुक्ति को स्थायी माना जाना चाहिये था क्योंकि यह स्थायी रिक्ति के मद थी जो कि पिछले कर्मचारी का त्यागपत्र से उत्पन्न हुई थी और वह उस आरक्षित श्रेणी से भी संबंधित था विज्ञापन दिया गया और इस तरह उनकी नियुक्ति को स्थायी नहीं मानने के लिए कोई औचित्य नहीं था- स्कूल न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी का मामला स्वीकार कर लिया-अपीलार्थी-सोसायटी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की- अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च

न्यायालय ने अपीलार्थी- सोसायटी से प्रतिवादी को साल दर साल आधार पर को शामिल करने की अपेक्षा की- अंतरिम आदेश के संदर्भ में, बहाली के करीब 2 साल बाद, प्रतिवादी ने चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार कर दिया गया-हालाँकि, प्रतिवादी ने चुनाव लड़ा और नियम 1981 के नियम 42 (3) की शर्तानुसार अपना इस्तीफा नहीं दिया जैसा कि अपीलार्थी- सोसायटी द्वारा सलाह दी गई थी- अपीलार्थी-सोसाइटी ने फिर से प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त कर दिया- स्कूल ट्रिब्यूनल द्वारा समाप्ति को बरकरार रखा गया था उच्च न्यायालय ने समाप्ति को रद्द कर दिया- अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने स्थायी रिक्ति पर कब्जा करने के लिए वांछित योग्यता को पूरा नहीं किया जैसा कि उन्होंने नियम 9 (9) (क) के अंतर्गत संस्कृत की शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं किया था, उम्मीदवारों को केवल अस्थायी रूप से या साल दर साल आधार पर नियुक्त किया जा सकता है जब कोई भी पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं-तदनुसार, उत्तरदाता एक स्थायी आधार पर रिक्ति को भरने के लिए पात्र नहीं था- उनकी नियुक्ति 1981 के नियमों के अंतर्गत नियम 9 (9) (क) के अनुरूप थी- इस प्रकार, प्रत्यर्थी की सेवाओं की समाप्ति का पहला आदेश ने केवल उनके नियुक्ति आदेश के सामंजस्य में नहीं था लेकिन वैधानिक नियम के अनुरूप भी था- दूसरा, पूछा जाने के बावजूद प्रतिवादी ने नियम 42 (3) के परंतुक में इंगित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया- बिना अवकाश कर्तव्यों से दूर रहना,

यह अपीलार्थी- सोसायटी के लिए उनकी सेवाएँ मुक्त करने लिये खुला था- इस प्रकारप्रकार बर्खास्तगी के दोनों आदेश विधिसम्मत थे- सेवा कानून- महाराष्ट्र निजी विद्यालय कर्मचारी (सेवा की शर्त) नियम, 1981- आर. 9 (9) (ए)।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. सबसे पहले अपीलार्थी- सोसायटी के हाथों प्रयास इस्तीफा देने वाले पिछले कर्मचारी द्वारा बनाई गई स्थायी रिक्ति को स्थायी आधार पर भरना चाहिए था। यह बाध्यता स्पष्ट रूप से 1977 का अधिनियम की धारा 5 (1) और 1981 के नियमों के नियम 9 (9) (ए) से उभरी है। हालांकि, यदि पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, तो पद एक उम्मीदवार द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर जो हो सकता है कि वे पिछड़े वर्गों से संबंधित न हों के माध्यम से अस्थायी रूप से भरने के लिए यह अपीलार्थी-सोसाइटी के लिए खुला था।। यह स्पष्ट है, कि प्रत्यर्थी ने स्थायी रिक्ति जो पिछले कर्मचारी के इस्तीफे पर उत्पन्न हुई थी पर कब्जा करने के लिए वांछित योग्यता को पूरा नहीं किया क्योंकि उनके पास संस्कृत शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। उसके पास संस्कृत की योग्यता न होने के कारण, प्रतिवादी स्पष्ट रूप से पिछले कर्मचारी द्वारा बनाई गई रिक्ति को स्थायी आधार पर भरने के लिए पात्र नहीं था। [पैरा 18,19] [893-एच, 894- ए-बी, ई]

2. उक्त रिक्ति को पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार द्वारा अस्थायी आधार पर भरा जा सकता है। क्योंकि, रिक्ति को भरते समय यदि एक उपयुक्त पिछड़े वर्ग (जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया था, वर्तमान मामला अनुसूचित जाति), का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था तो, अपीलार्थी-सोसायटी के पास रिक्ति को अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार द्वारा भरने के लिए खुली छूट थी। और यदि अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित एक उपयुक्त उम्मीदवार भी उपलब्ध नहीं था रिक्ति सामान्य/ खुली श्रेणी द्वारा अस्थायी रूप से, या वर्ष दर वर्ष आधार पर, भरी जा सकती थी। लेकिन यदि जिन्होने आवेदन किया था उनमे से आवश्यक योग्यताओं का अभाव के कारण कोई भी उम्मीदवार उपययुक्त नहीं पाया जाता है तो पद कैसे भरा जाएगा। ऐसी स्थिति में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए, कि विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से यदि कोई पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करने के बावजूद वह, सबसे अधिक मेधावी पाया गया, वह 1981 के नियमों के नियम 9 (9) (क) नियम के तहत अस्थायी आधार पर विज्ञापित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है। विज्ञापन दिनांक 04.12.1987 पर प्रतिक्रिया देने वालों में से उत्तरदाता को सबसे मेधावी उम्मीदवार पाया गया। लेकिन क्योंकि उसके पास विज्ञापित रिक्ति के लिए निर्धारित योग्यताएँ नहीं थीं, इसलिये नियम 9 (9) (क) के तहत शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उन्हें अस्थायी नियुक्ति के किये पेशकश करना अपीलार्थी- सोसायटी के अधिकार

में था, जब पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं पाया जाता है, उम्मीदवार को केवल अस्थायी तौर अथवा आधार पर या साल दर साल आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। तदनुसार, जब प्रतिवादी को 07.12.1987 (30.04.1988 तक) को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, तो उनकी नियुक्ति1981 के नियमों के नियम 9 (9) (ए) के अनुरूप सुसंगत थी। 30.04.1988 को प्रतिवादी की सेवा समप्ति का आदेश न केवल उनके नियुक्ति आदेश दिनांकित 07.12.1987 के अनुरूप था, बल्कि वैधानिक नियम के भी अनुरूप था।। [पैरा 20,21] [894-एफ-एच, 895-ए-एफ]

3. नियम 42 (3) के तहत, यह प्रबंधन के लिए खुला था, वह छुट्टी मांगने वाले किसी कर्मचारी को छुट्टी पर जाने के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दे सके। लेकिन, असाधारण रूप से ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ यह महसूस किया गया था कि कर्मचारी के चुनाव अभियान, उनके कर्तव्यों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना थी, उन्हें अपना इस्तीफा देने की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्यर्थी द्वारा छुट्टी मांगने के किए गए अनुरोध को आगे बढ़ाते हुए अपीलार्थी-सोसायटी ने उसे नियम 42 (3) के तहत अपना इस्तीफा देने की सलाह दी। उक्त सलाह विशेष रूप से आगामी वार्षिक परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में उत्तरदाता के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का महत्व ध्यान में रखते हुए दी गई थी। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-सोसायटी द्वारा उसे दिया गया सुझाव स्वीकार नहीं किया। इसके साथ, उन्होंने चुनाव लड़ा,

और अपने चुनाव अभियान के लिए, उस समयावधि के लिए, जिसके लिए उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, अपने कर्तव्यों से खुद को अनुपस्थित रखा। मामले को देखते हुए, समाप्ति का दूसरा आदेश पूरी तरह से उचित था, विशेष रूप से जब प्रतिवादी ने पूछे जाने के बावजूद, 1981 के नियमों के नियम 42 (3) के परंतुक में इंगित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। बिना छुट्टी के कर्तव्यों से दूर होने के नाते, अपीलार्थी-सोसायटी के लिये यह खुला था कि वह प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करदे। यह स्पष्ट है कि उनकी सेवाओं को नियम 42 (3) के अनुपालन में (16.02.1995 दिनांकित आदेश द्वारा) समाप्त कर दिया गया था।. समाप्ति के दोनों आदेश कानून के अनुरूप थे। [पैरा 22,23]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 4606/2006

बम्बई उच्च न्यायालय के 1993 की रिट याचिका संख्या 232 और 2004 की संख्या 10576 में दिनांकित 28.10.2005 निर्णय और आदेश से।

विनय नवारे, सत्यजीत के., नरेश कुमार अपीलार्थी के लिए।

ब्रज किशोर मिश्रा, विजय कुमार, अपर्णा झा उत्तरदाता के लिये।

न्यायालय का निर्णय **जे. एस. खेहर, न्यायाधिपति** द्वारा दिया गया था-

1. अपीलार्थी नं.1-जेल्स एजुकेशन सोसायटी (इसके बाद 'अपीलार्थी-सोसायटी' के रूप में संदर्भित) महात्मा गांधी विद्यामंदिर स्कूल चलाती और संचालन करती है।स्कूल दसवीं कक्षा तक है। किसी राउत को स्कूल ने अंग्रेजी और संस्कृत के विषयों को पढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। उन कारणों से जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, राउत ने शैक्षणिक सत्र 1989-90 के बीच में अपना इस्तीफा दे दिया। जो 26.07.1989 को स्वीकार किया गया था।

2. अपीलार्थी-सोसायटी ने 04.12.1987 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें राउत के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप पैदा हुई रिक्ति को भरने की मांग की गई। उपरोक्त विज्ञापन के अंग्रेजी अनुवाद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

चाहिये

"अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चाहिये। वांछित। पिछड़े वर्ग के लिए प्राथमिकता। प्रमाण पत्र के साथ तुरंत संपर्क करें महात्मा गांधी विद्यामंदिर, बांद्रा (ई), मुंबई-5"

3. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी- सोसायटी अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक देख रहा था। विज्ञापन से यह भी पता चलता है कि नियुक्ति के लिए यदि संभव हो तो चुनाव पिछड़े वर्ग के

उम्मीदवार से किया जाना था। उत्तरदाता-आर. टी. भिटाले, जो अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणी से सम्बंधित थे, जो नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया के लिये मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्ग में से एक है, ऊपर निकाले गये विज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद के लिये आवेदन किया था। उनका चयन किया गया और उन्हें 07.12.1987 पर निम्नलिखित नियुक्ति आदेश जारी किया गया:

> " आपके आवेदन दिनांक 4.4.1987 के संदर्भ में, मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको 365-15-500-20-660-EB-20-760 पैमाने में रु. 365/- प्रति माह पर 07.12.1987 या आप्के ड्यूटी पर प्रभावी होने के समय से एक सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप समय-समय पर सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत प्रतिपूरक स्थानीय भत्ता, मकान किराया भत्ता और महँगाई भत्ता जैसे भत्ते के अधिकारी होंगे।"

2. आपकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से 7.12.1987 से 30.4.1988 (पढ़ने योग्य नहीं) महीने की अवधि के लिए पूर्णत: अस्थायी है। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद आपकी सेवाओंक को बिना किसी सूचना के या (सुपाठ्य नहीं) समाप्त कर दिया जाएगा।

3. आपके रोजगार की शर्तें और सेवा शर्तें महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित होगी।

4. आपको पद ग्रहण करने की दिनांक से तीन महीने के भीतर एक डॉ. (सुपाठ्य नहीं) चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा आपकी नियुक्ति सशर्त होगी, बशते कि ऊपर उल्लिखित डॉक्टर से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्राप्तिकर ली जाये। (बल हमारा है)

4. अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति, शैक्षणिक सत्र 1987-88 की शेष अवधि के लिये थी, और 30.04.1988 पर समाप्त को समाप्त होनी थी। विद्यालय प्रबंधन समिति ने 29.03.1988 को निर्णय लिया कि प्रत्यर्थी को आगे जारी न रखा जाये और तदनुसार, नियुक्ति पत्र दिनांक 07.12.1987 के अनुरूप पर उनकी नियुक्ति 30.04.1988 को समाप्त हो गई। उन्हें उसी दिन यानी 30.03.1988 को उनकी समाप्ति के बारे में सूचित किया गया था।

5. उस आदेश से असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उनकी सेवाएं खारिज की गई थीं, प्रतिवादी ने महाराष्ट्र के निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 (इसके बाद 1977 एक्ट के रूप में संदर्भित') की धारा 9 के तहत 30.04.1988 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की। प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई गई स्थिति यह थी कि

दिनांकित 07.12.1987 के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति स्थायी मानी जाने योग्य थी, क्योंकि वह एक स्थायी रिक्ति के विरुद्ध थी, जो राउत के इस्तीफे से उत्पन्न हुई। उनका यह तर्क भी था कि वे आरक्षित श्रेणी से संबंधित थे, जिसके लिए पद का विज्ञापन किया गया था, और इस तरह, वहाँ उनकी नियुक्ति को स्थायी तौर पर विचार नहीं करने का कोई औचित्य नहीं था।

6. प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई गई उपरोक्त स्थिति का अपीलकर्ता-सोसायटी द्वारा विरोध करने की मांग की गई थी। अपीलकर्ता-सोसायटी द्वारा स्थापित मामला यह था कि प्रत्यर्थी राउट द्वारा उत्पन्न की गई रिक्ति पर कब्जा करने के लिये पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता था। इस संबंध में, प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई गई स्थिति को स्वीकार करते हुए अर्थात्, कि प्रश्नगत पद को पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से आरक्षण के माध्यम से भरा जाना था, यह बताया गया कि जिन लोगों ने दिनांकित 04.12.1987 विज्ञापन का जवाब दिया था, उनके पास ऐसी योग्यताएँ होनी चाहिए जो उन्हें अंग्रेजी और संस्कृत के विषयों, अर्थात् विषयों को पढ़ाने के लिये सक्षम बनाती, जिसे महात्मा गांधी विद्यामंदिर विद्यालय में कार्यरत रहते हुए राउत संभाल रहे थे। अपीलकर्ता-सोसायटी का यह भी था मामला था कि हालांकि प्रत्यर्थी के पास अंग्रेजी पढ़ाने की योग्यता थी, उनके पास संस्कृत पढ़ाने की योग्यता नहीं थी, और इस योग्यता के बिना, वह संस्कृत विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुपयोगी होगा। यह प्रमाणित करने के लिए

कि प्रत्यर्थी के पास संस्कृत में पढाने की कोई योग्यता नहीं थी, अपीलकर्ता-सोसायटी ने इस मामले के रिकॉर्ड पर बी ए (विशेष) डिग्री योग्यता की एक ज़ेरॉक्स प्रति, साथ ही, प्रत्यर्थी को दी गई बी. एड. डिग्री योग्यता रखी है, जहाँ से यह स्पष्ट है कि उन्होंने संस्कृत विषय में कोई पाठ्यक्रम नहीं लिया था। तथ्य यह है कि प्रतिवादी के पास संस्कृत विषय में कोई योग्यता नहीं, विरोधी दलों के बीच विवाद का विषय नहीं है।

7. स्कूल ट्रिब्यूनल ने 26.06.1992 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा की अपील को स्वीकार कर लिया। स्कूल न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति स्थायी माने जाने के लिए उत्तरदायी थी, और इस तरह, चूंकि प्रत्यर्थी की सेवाओं को वैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर समाप्त कर दिया गया था, इस तरह उसकी नौकरी से समाप्ति को कानून में टिकाऊ नहीं माना गया।

8. स्कूल न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 26.06.1992 के आदेश का अपीलकर्ता-सोसायटी ने1993 की रिट याचिका संख्या 232 दायर करके बॉम्बे उच्च न्यायालय इसके बाद ('उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) के समक्ष विरोध किया था। उपरोक्त रिट याचिका की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 05.03.1993 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि एक अंतरिम उपाय के

रूप में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-सोसायटी को प्रतिद्वंद्वी दलों के अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना वर्ष दर वर्ष आधार पर प्रत्यर्थी को शामिल करने की आवश्यकता जताई। यह भी विवाद का विषय नहीं है, कि दिनांकित 05.03.1993 के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को वर्ष दर वर्ष आधार पर अपीलकर्ता-सोसायटी के रोजगार में जारी रखा गया था।

9. स्कूल ट्रिब्यूनल दिनांक 26.06.1992 द्वारा पारित आदेश और 05.03.1993 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा में बहाल होने के बाद, प्रत्यर्थी जनवरी, 1995 में चुनाव लड़ना चाहता था। उन्होंने उपरोक्त उद्देश्य के लिए अनुमति मांगी। प्रत्यर्थी द्वारा अपने 19.01.1995 दिनांकित अपने अभ्यावेदन के माध्यम से का मांगी गई छुट्टी अनुरोध अपीलकर्ता-सोसायटी द्वारा 31.1.1995 को अस्वीकार कर दिया गया था। अपीलकर्ता-सोसायटी ने प्रत्यर्थी को सलाह दी कि यदि वह उपरोक्त चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अपना महाराष्ट्र निजी विद्यालय कर्मचारी (सेवा की शर्त) नियम, 1981 (इसके बाद '1981 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 42 (3) के तहत इस्तीफा दें। इस तथ्य के बावजूद, कि प्रत्यर्थी को उसके अभ्यावेदन दिनांक 19.01.1995 के संदर्भ में अवधि के लिए छुट्टी से इनकार कर दिया गया था, प्रतिवादी ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, और किसी भी तरह से उपरोक्त चुनाव लड़े। उन्होंने 1981 के नियमावली के नियम 42 (3) के संदर्भ में अपना इस्तीफा भी

नहीं दिया। इसलिए यह है कि अपीलकर्ता-सोसायटी ने एक आदेश दिनांकित 16.02.1995 द्वारा प्रत्यर्थी की सेवाओं को फिर से समाप्त कर दिया।

10. समाप्ति के उपरोक्त आदेश दिनांक 16.02.1995 को प्रत्यर्थी द्वारा फिर से 1977 के अधिनियम की धारा 9 के तहत स्कूल न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर करके चुनौती दी गई। 09.03.1995 को, स्कूल ट्रिब्यूनल ने प्रत्यर्थी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके द्वारा तिथि 16.02.1995 को समाप्ति आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में, कि प्रतिवादी को दूसरी बार उनकी बर्खास्तगी के बावजूद एक बार फिर सेवा में बने रहने की, उन्हें अनुमति दी गई थी।

11. दिनांकित 16.02.1995 के आदेश को चुनौती देने के लिये प्रतिवादी द्वारा दायर उपरोक्त अपील को 30.04.2001 डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त की पुनर्स्थापना के लिए किया गया अनुरोध स्कूल न्यायाधिकरण द्वारा 10.02.2003 को अस्वीकार कर दिया गया था। यह उपरोक्त परिस्थितियों में है कि, उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 की रिट याचिका संख्या 2975 प्रस्तुत की। 01.12.2003 दिनांकित एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका की अनुमति दी, और स्कूल न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी द्वारा

दायर की गई अपील को बहाल करने का आदेश दिया। अपने आदेश दिनांक 07.05.2004 द्वारा, स्कूल न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा उनकी बर्खास्तगी तिथि 16.02.1995 के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। इस मौके पर, प्रतिवादी ने 2004 की रिट याचिका संख्या: 10576 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

12. विवादित आदेश दिनांक 28.10.2005 के द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-सोसायटी द्वारा दायर 1993 की रिट याचिका संख्या 232 और प्रत्यर्थी द्वारा दायर 2004 की रिट याचिका सं. 10576 का सामूहिक रूप से निपटारा किया। उच्च न्यायालय ने स्कूल ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांकित 26.06.1992 द्वारा पारित आदेश पुष्टि करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को एक स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल किया गया था, और वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त किया गया था। जहाँ तक 2004 की रिट याचिका 10576 का संबंध है, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रतिवादी को 1981 के नियम के नियम 42 (3) के तहत अपना इस्तीफा देने के लिए मांग करने की की आवश्यकता उचित नहीं थी, इस तथ्य के कारण कि वह एक स्थायी कर्मचारी था, न कि अस्थायी कर्मचारी नहीं।

13. तत्काल विवाद की, अनिवार्य रूप से वैधानिक नियमों की पृष्ठभूमि में जांच की होनीचाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे

लिए 1977 के अधिनियम की धारा 5 पर विचार करना आवश्यक है। वही निम्नलिखितानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

> "5. निजी विद्यालय के प्रबंधन के कुछ दायित्व: (1) प्रबंधन जल्द से जल्द, किसी निजी विद्यालय में प्रत्येक स्थायी रिक्ति को निर्धारित तरीके से, इस तरह की रिक्ति को भरने के लिए योग्य किसी व्यक्ति की विधिवत नियुक्ति द्वारा भरेगा।
>
> बशर्ते कि, जब तक कि ऐसी रिक्ति पदोन्नति द्वारा नहीं भरी जानी है, प्रबंधन, ऐसी रिक्ति को भरने के लिये आगे बढ़ने से पहले, शिक्षा निरीक्षक ग्रेटर बॉम्बे, शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद या, यथास्थिति, निदेशक या अधिकारी से पता करेगा या विद्यालयों के संबंध में निदेशक द्वारा नामित तकनीकी, व्यावसायिक, कला या विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों के सम्बंध में निदेशक द्वारा नामित अधिकारी, अन्य विद्यालय में अवशोषण के लिए उसके द्वारा रखे गए अधिशेष व्यक्तियों की सूची में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध है; और ऐसे व्यक्ति के उपलब्ध होने की स्थिति में, प्रबंधन उस व्यक्ति को ऐसी रिक्ति पर नियुक्त करेगा।

(2) शिक्षा सेवक को छोडकर स्थायी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो साल की अवधि के लिये परिवीक्षा पर होगा। उप-धाराओं के(3) और (4) प्रावधानों के अधीन दो वर्ष की इस परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर उसकी पुष्टि की गई मानी जाए।

बशर्ते कि, शिक्षण सेवक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति तीन साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(2क) उप-धारा (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, शिक्षा सेवक, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर शिक्षक के रूप में नियुक्त और पुष्टिकृत माना जायेगा।

(3) यदि प्रबंधन की राय में, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या व्यवहार, संतोषजनक नहीं है, तो प्रबंधन उसे एक महीने का नोटिस या वेतन देने के बाद या नोटिस के बदले में एक महीने का मानदेय देकर उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

(4) यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को उप-धारा (3) के तहत समाप्त कर दिया जाता है और उसे प्रबंधन द्वारा इससे संबंधित उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के

भीतर, जिस पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था उसी स्कूल या किसी अन्य स्कूल में फिर से नियुक्त किया जाता है, उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अवधि की गणना करते समय उसके द्वारा पहले की गई परिवीक्षा की अवधि को ध्यान में रखा जायगा।

(4ए) उप-धारा (2), (3) या (4) में कुछ भी पदोन्नति या अवशोषण द्वारा स्थायी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जैसा कि उप-धारा (1) के परंतुक के तहत प्रदान किया गया है।

(5) प्रबंधन हर अस्थायी रिक्ति ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विधिवत योग्य व्यक्ति को नियुक्त करके भर सकता है। नियुक्ति का आदेश उस सम्बंध में प्रपत्र में तैयार किया जाएगा और इसमें ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति अवधि बताएगा। (जोर हमारा है)"

14. प्रतिवादी विद्वान वकील का यह तर्क था कि 1977 के अधिनियम की धारा 5 में दो जल रोधी डिब्बों की परिकल्पना की गई है। पहला धारा 5 (1) के माध्यम से निर्धारित किया गया है जो स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति को पूरा करता है, और धारा 5 (5) दूसरी आकस्मिकता कोको पूरा करती है जो यह अस्थायी रिक्तियों के विरुद्ध रोजगार से संबंधित है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील के हाथों दी गई प्रस्तुतियाँ उचित प्रतीत होती है और हम इसका समर्थन करते हैं, अर्थात्, धारा 5 स्थायी और साथ ही अस्थायी रिक्तियों को भरने से संबंधित है। हालांकि, यहाँ यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी या अस्थायी रिक्ति के खिलाफ) के बावजूद, दोनों धारा 5 की दोनों उप-धाराओं में यह आदेश दिया गया है कि नियुक्त व्यक्ति "एक व्यक्ति विधिवत योग्य" होना चाहिए।

15. अन्य वैधानिक प्रावधान, जिस पर विचार करने की की आवश्यकता है वह 1981 के नियमों का नियम 9 है। उसी का एक प्रासंगिक उद्धरण यहाँ नीचे निकाला जा रहा हैः

9. कर्मचारियों की नियुक्ति।

(1) विद्यालय का शिक्षण कर्मचारी विद्यालय में कक्षाओं की संख्या और प्रदान किए गए वैकल्पिक पाठ्यक्रमों और उसमें पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक विषय सहित पाठ्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त होगा।

(2) किसी विद्यालय में शिक्षण कर्मचारियों (प्रमुख और सहायक प्रमुख के अलावा) और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति विद्यालय समिति द्वारा विद्यालय द्वारा की जायेगी:

बशर्ते कि, तीन महीने से कम की अल्पावधि की अवकाश रिक्तियों में नियुक्तियाँ प्रमुख द्वारा की जा सकती हैं, यदि ऐसा समिति द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(3) जब तक इन नियमों से अन्यथा प्रावधान न किया जाये, किसी विद्यालय में शिक्षण या गैर-शिक्षण पद के लिए की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति के लिये पात्र और ऐसे पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आदि, मूल प्रमाणपत्रों की वास्तविक प्रतियाँ संलग्न करके पूरा विवरण देते हुए लिखित में आवेदन करना होगा।

(4) XXX XXX XXX

(5) XXX XXX XXX(6) XXX XXX XXX

+ [(7) प्रबंधन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जनजाति, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बंधित व्यक्तियों के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी पदों की कुल संख्या का 52 प्रतिशत निम्नानुसार आरक्षित करेगा, अर्थात्:

(क)	अनुसूचित जातियाँ	13 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजातियाँ	7 प्रतिशत
(ग)	गैर-अधिसूचित जनजाति (ए)	3 प्रतिशत
(घ)	खानाबदोश जनजातियाँ (बी)	2.5 प्रतिशत

(ई)	खानाबदोश जनजातियाँ (सी)	3 प्रतिशत
(च)	खानाबदोश जनजातियाँ (डी)	2 प्रतिशत
(छ)	विशेष पिछड़ा वर्ग	2 प्रतिशत
(ज)	अन्य पिछड़े वर्ग	19 प्रतिशत
	कुल	52 प्रतिशत

+ उप-नियम (7) नहीं। अधिसूचना संख्या प्रशन्या 1005 / (94/05) / एसई-2 दिनांकित 08.07.2008 के स्थान पर नहीं रखा गया है।

(8) उप-नियम (7) के तहत आरक्षित रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से प्रबंधन क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम एक समाचार पत्र में रिक्तियों का विज्ञापन करेगा। और रिक्तियों को जिले का रोजगार एक्सचेंज और जिला समाज कल्याण अधिकारी+ [और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के संघों या संगठन को चाहे उन संगठनों या संघों को किसी भी नाम से बुलाया जाता है, और जिन्हें इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है] को योग्य कार्मिकों के नाम, यदि कोई हों, की मांग करते हुए अधिसूचित भी करेगा। यदि आरक्षित पद को उन उम्मीदवारों, यदि कोई हो, में से इसे भरना संभव नहीं है जिन्होने विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया है या जिनके नाम रोजगार कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी + [या ऐसा उपरोक्त संघ या संगठन] द्वारा नामों की सिफारिश की जाती है।या यदि रोजगार कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी + [या ऐसा उपरोक्त संघ या संगठन] द्वारा एक महीने अवधि के

भीतर ऐसे किसी नाम की सिफारिश नहीं की जाती है तो प्रबंधन उप नियम (9) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित पद को भरने के किये आगे बढ सकता है।

+ शब्दों को अधिसूचना नं पीएसटी/1083/194/एसई 3- सेल, दिनांकित 20.12.1984 द्वारा डाला गया है।

(9) (क) यदि उस शिक्षण पद को भरना संभव नहीं है जिसके लिए रिक्ति पिछड़े वर्गों की एक विशेष श्रेणी के लिए संबंधित व्यक्ति के लिए आरक्षित है, तो पद को शेष बचे उम्मीदवारों में से उप-नियम(7) में निर्दिष्ट क्रम में शेष श्रेणियाँ के एक उम्मीदवार का चयन करके भरा जा सकता है और यदि किसी भी श्रेणी से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो पद को पिछड़े वर्ग से गैर-संबंधित उम्मीदवार द्वारा अस्थायी रूप से या वर्ष-दर-वर्ष आधार पर भरा जा सकता है। (जोर हमारा है)

16. यह प्रत्यर्थी के विद्वान वकील का तर्क था कि, नियम 9, शिक्षण कर्मचारी जो नियुक्ति को पूरा करता है, के तहत, प्रत्यर्थी एक स्थायी पद पर नियुक्त होने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उनकी नियुक्ति एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ थी, जो कि राउत द्वारा बनाई गई थी। उनका यह भी तर्क था, कि वे पिछड़े वर्गों (1981 के नियमों के नियम 9 (7) के तहत विचरित) की श्रेणी से संबंधित थे। यह प्रस्तुत किया गया था, कि भले ही प्रश्न में रिक्ति अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित थी, 1981 के नियमों के

नियम 9 (8) के संदर्भ में प्रतिवादी एक उपयुक्त और योग्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की अनुपस्थिति यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग की अन्य श्रेणियों से भी के इसके विरुद्ध स्थायी रूप से नियुक्त होने का हकदार था। (ऊपर वर्णित) चूंकि प्रतिवादी का चयन एक स्थायी रिक्ति, जिसका विधिवत विज्ञापन किया गया था, और जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध थी के विरुद्ध किया गया था, उनकी नियुक्ति सभी इरादों और उद्देश्य के लिए और विशेष रूप से नियम 9 (9) (ए) में निहित जनादेश के संदर्भ में स्थायी माना जाने के लिए उत्तरदायी था।

17. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील के हाथों दिये गये तर्कों में अग्रिम प्रस्तुतियों का मुकाबला करने के लिए, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान धारा 5 (1) की ओर आकर्षित किया है, जो ऊपर दी गई है यह तर्क देने के लिए, कि सभी स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए यह प्रबंधन के लिये अनिवार्य था और अपीलार्थी-सोसायटी द्वारा संचालित विद्यालय में नामांकित छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ सकता था के कारण एक स्थायी रिक्ति को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए, यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि चयनित उम्मीदवार को ऐसी रिक्ति को भरने के लिये "विधिवत योग्य व्यक्ति होना चाहिये...।" उपरोक्त के अलावा, यह विद्वान वकील का तर्क था कि विवाद था, कि अपीलार्थियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया में, अपीलार्थी-सोसायटी को एक प्रशिक्षित स्नातक की आवश्यकता होती है जो अंग्रेजी और संस्कृत

के विषयों को पढाने की योग्यता रखता हो। लेकिन, दिनांक 04.12.1987 के विज्ञापन के जवाब में, अपीलार्थी-सोसायटी को उपरोक्त योग्यता रखने वाला कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण, में है कि अपीलार्थी-सोसायटी ने प्रत्यर्थी का चयन किया, और शैक्षणिक सत्र अवधि के अंत यानि अर्थात 30.04.1988 तक अस्थायी आधार पर नियुक्ति एक प्रस्ताव जारी किया। सवाल जो हमारे विचार के सामने आता है यह है कि क्या प्रत्यर्थी एक स्थायी कर्मचारी के रूप में माना जाने के लिये उत्तरदायी था, या क्या अपीलार्थी-सोसायटी के लिये यह खुला था वह उसे 30.04.1988 तक अस्थायी आधार पर नियुक्त कर सके?

18. इस मुद्दे पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद हम संतुष्ट हैं, कि अपीलार्थी-सोसायटी के हाथों प्रयास, सबसे पहले, राउत द्वारा उत्पन्न की गई स्थायी रिक्ति को स्थायी रूप से भरने का होना चाहिये था। यह शासनादेश 1977 के अधिनियम की धारा 5 (1) और 1981 के नियमों का नियम 9 (9) (ए) से स्पष्ट रूप से से उभरता है। हालांकि, यदि पिछड़े वर्ग से कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, अपीलार्थी सोसाइटी के लिए यह खुला थ कि उस पद को अस्थायी रूप से पद भरने के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर एक उम्मीदवार द्वारा भर सकता था जो पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं हो। हालाँकि प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की कि यह जोरदार समर्पण था पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार की अनुपस्थिति के मामले में, अपीलार्थी-सोसाइटी के लिए एकमात्र विकल्प एक उम्मीदवार की नियुक्ति द्वारा रिक्ति

को भरना था "जो पिछड़े वर्ग से संबंधित न हो"। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी-सोसायटी के पास अस्थायी आधार पर राउत द्वारा बनाई गई रिक्ति को भरने की इच्छा होने पर उक्त प्रक्रिया का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

19. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता ने राउत द्वारा बनाई गई स्थायी रिक्ति पर कब्जा करने के लिए वांछित योग्यताओं को पूरा नहीं किया, यहाँ तक कि जिनके पास संस्कृत की शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। संस्कृत की शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारन प्रतिवादी स्पष्ट रूप से था स्थायी आधार पर राउत द्वारा बनायी गयी रिक्ति को भरने के लिए पात्र नहीं था।

20. अगला प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है, क्या उपरोक्त रिक्ति को एक अस्थायी आधार पर पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है? हमारे विचार में, उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि रिक्तियों को भरते समय यदि विशेष पिछड़े वर्ग (जिसके लिए इसे, वर्तमान में मामला-अनुसूचित जाति निर्धारित किया गया था), से एक उपयुक्त उम्मीदवार से उपलब्ध नहीं था तो रिक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों में से भरने के लिए यह अपीलार्थी-सोसायटी के लिए विकल्प खुला था। और यदि अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बंधित कोई उपयुक्त उम्मीदवारभी उपलब्ध

नहीं थे, तो प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील, द्वारा प्रस्तुत किया गया, रिक्तियों को सामान्य/खुली श्रेणी से एक उपयुक्त उम्मीदवार द्वारा अस्थायी रूप से, या साल दर साल आधार पर भरा जा सकता है। लेकिन, अगर आवेदन करने वाले उम्मीदवार में से किसी को भी आवश्यक योग्यता की कमी के कारण उपयुक्त नहीं माना जाता है, तो पद कैसे भरा जाएगा? ऐसी स्थिति में इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, कि यदि उन उम्मीदवारों में से जिन्होंने विज्ञापित पद के लिये आवेदन किया था उनस्में से यदि कोई पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार पद के लिए निर्धारित योग्यता पूरा नहीं कर रहा है, तो भी वह सबसे मेधावी पाया जाता है और 1981 के नियम के नियम 9 (9) (ए) के तहत अस्थायी आधार पर विज्ञापित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है। विज्ञापन दिनांक 04.12.1987 पर उन लोगों में से जिन्होंने जवाब दिया था उत्तरदाता को सबसे अधिक योग्य उम्मीदवार पाया गया। लेकिन चूंकि उसके पास विज्ञापित रिक्ति के लिए निर्धारित योग्यताएँ नहीं थी, इसलिये नियम 9 (9) (ए) के तहत शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उन्हें अस्थायी नियुक्ति की पेशकश करना अपीलार्थी-सोसायटी के अधिकार के भीतर था। नियम 9 (9) (ए)।, के तहत उम्मीदवार को केवल अस्थायी आधार पर या साल दर साल आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, जब कोई भी पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया जाता है। तदनुसार, जब प्रतिवादी को 07.12.1987 पर (30.04.1988 तक) अस्थायी रूप से

नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति1981 के नियमों के नियम 9 (9) (ए) के अनुरूप में थी।

21. उपरोक्त को देखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि 30.04.1988 पर प्रत्यर्थी की सेवाओं की समाप्ति का आदेश न केवल उनके दिनांकित 07.12.1987 नियुक्ति आदेश के अनुरूप था, लेकिन यह वैधानिक नियमों के अनुरूप भी था।

22. हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, हमारे लिए हमारे सामने प्रचार किए गए दूसरे मुद्दे से निपटना आवश्यक नहीं है | जो भी हो, हम उक्त मुद्दे से निपटने के लिए भी मजबूर महसूस करते हैं, इस तथ्य के कारण, कि उक्त मुद्दे पर भी विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं थी। को। बर्खास्तगी के दूसरे आदेश 16.02.1995 की वैधता का निर्धारण करने के लिये, 1981 के नियमों का नियम 42 प्रासंगिक है। वही इसे नीचे दर्शाया गया हैः

> "42. चुनाव लड़नाः (1) उप-नियम (3) से (6) (दोनों समावेशी) के प्रावधानों के अधीन एक कर्मचारी, प्रबंधन को लिखित रूप में पूर्व सूचना के साथ, संबंधित गैर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के साथ विश्वविद्यालय सीनेट के लिए या जैसा भी मामला हो, महाराष्ट्र विधान परिषद, जैसा कि भारत के संविधान के

अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उप-खंड (बी) और (सी) में प्रदान किया गया है, चुनाव लड़ सकता है।(2) उप-नियम (3) से (6) (दोनों सम्मिलित) के प्रावधानों के अधीन एक कर्मचारी, प्रबंधन की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के साथ, [उप-नियम (1) में उल्लिखित कार्यालयों के अलावा] स्थानीय, जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर परसार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव लड़ सकता है।

(3) ऐसे चुनाव लड़ने के लिये नामांकन पत्र भरने और उसे वैध घोषित किये जाने के तुरंत बाद, कर्मचारी देय छुट्टी उसके लिए स्वीकार्यऔर पर आगे बढ़ेगा; और यदि उसके श्रेय के लिए कोई छुट्टी नहीं है, तो वह असाधारण अवकाश पर आगे बढ़ें, और चुनाव परिणाम घोषित होने तक छुट्टी पर जारी रहेंगे।

बशर्ते कि प्रबंधन को इस तरह का चुनाव लड़ने वाले को अस्थायी कर्मचारी को चुनाव अभियान के दौरान भी अपने पद से भी इस्तीफा देने की आवश्यकता हो सकती है, यदि प्रबंधन की राय में कर्मचारी के कर्तव्यों पर, चुनाव अभियान के प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है।

(4) ऐसा चुनाव लड़ने वाला कर्मचारी संस्थान के प्रबंधन, कर्मचारियों या छात्रों को चुनाव अभियान में शामिल नहीं करेगा, जिसमें वह कार्यरत हैं।

(5) (क) उनके निर्वाचित होने की स्थिति में स्थायी कर्मचारी देय और उसके लिए स्वीकार्य छुट्टी को और बढ़ाने के लिए और यदि कोई छुट्टी उसके खाते में नहीं है, तो उस अवधि के लिए असामान्य छुट्टी जिसके लिए उसका पद पर बने रहना संभावित है, आवेदन करेगा; और वह प्रबंधन द्वारा नियम 16 के उप-नियम (13) में विहित सीमा शिथिल करते हुए प्रदान की गई जायेगी।

(ख) तथापि, यदि सार्वजनिक पद की बैठकों के सत्र अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं उन्हें यात्रा की अवधि सहित सत्रों या बैठकों की वास्तविक अवधि के लिये उन्हे देय और स्वीकार्य छुट्टी या जैसा भी मामला हो सकता है, असाधारण छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है और शेष अवधि के दौरान स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) उद्देश्य के लिए ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना वार्षिक वृद्धि प्रयोजनों के लिए की जाएगी।

(6) (क) स्थायी कर्मचारी के आगे चलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, आदि जैसे पदाधिकारी बनने की स्थिति में, जो पूर्णकालिक उपस्थिति या सामान्य कर्तव्य लंबे समय तक अनुपस्थिति की माँग करता है, वह अपने वह पद जो उसने धारण किया था के ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के लिए आवेदन करेगा, जो प्रबंधन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ख) एक गैर-स्थायी कर्मचारी के मामले में जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक छुट्टी पर है, अपने चुनाव में सार्वजनिक पद के लिए अपने चुने जाने पर वह अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देगा।

(7) उप-नियम (3), (4) और (5) के प्रावधान यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे-

(i) सार्वजनिक कार्यालयों के लिए चुने गए स्थायी कर्मचारियों को उनके पद के आधार पर आगे विश्वविद्यालय सीनेट में, या जैसा भी मामला हो सकता है, राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आगे चुना जाना;

(ii) स्थायी कर्मचारी का राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के राज्य बोर्ड या डिवीजन बोर्ड पर नामित होना।"

नियम 42 (3) के तहत, यह प्रबंधन के लिए खुला था, कि छुट्टी मांगने वाले कर्मचारी को चुनाव लड़ने के लिये छुट्टी पर आगे बढ़ने की अनुमति दे सकत है। लेकिन, असाधारण परिस्थितियों में जहाँ यह महसूस किया गया, कि कर्मचारियों के चुनाव अभियान से अपने कर्तव्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना थी, उसे अपना इस्तीफा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। अनुमति मांगने वाले प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अनुरोध को आगे बढ़ाते हुए, अपीलार्थी-सोसायटी ने अपने संचार दिनांकित 31.01.1995 माध्यम से उन्हें नियम 42 (3) के तहत उनका इस्तीफा प्रस्तुत करने की सलाह दी। उक्त सलाह विशेष रूप से आगामी वार्षिक परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में प्रत्यर्थी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ का महत्व ध्यान में रखते हुए दी गई थी। प्रतिवादी ने अपीलार्थी-सोसायटी द्वारा अपने दिनांकित 31.01.1995 संचार के माध्यम से उसे दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं किया। वैसे ही, उन्होंने चुनाव लड़ा, और उस समयावधि के लिए जिसके लिए उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, अपने चुनाव अभियान के लिए खुद को अपने कर्तव्य से दूर रखा। मामले के

उपरोक्त दृश्य में, हम संतुष्ट हैं, कि समाप्ति का आदेश दिनांकित 16.02.1995 पूरी तरह से उचित था, विशेष रूप से पूछे जाने के बावजूद जब प्रतिवादी ने1981 के नियमों के नियम 42 (3) के प्रावधान में इंगित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। बिना छुट्टी के कर्तव्यों से दूर होने के नाते, अपीलार्थी- सोसायटी के लिये प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने का विकल्प खुला था।

यह स्पष्ट है कि उनकी सेवाओं को (आदेश दिनांक 16.02.1995 द्वारा) नियम 42 (3) के अनुपालन में समाप्त कर दिया गया था। उत्तरदाता की प्रार्थना की स्वीकृति का परिणाम उपरोक्त नियम की व्याख्या करना, जैसे कि इसका कोई परिणाम नहीं था, होगा।

23. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम संतुष्ट हैं, कि समाप्ति के दोनों आदेश दिनांकित 30.03.1988 और 16.02.1995 कानून के अनुरूप थे। तदनुसार, बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश 28.10.2005 अन्यथा धारण करते हुए, निरस्त किया जाता है।

24. उपरोक्त शर्तों में तत्काल अपील की अनुमति है।

25. इस आदेश को दर्ज करने के दौरान, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा इंगित किया गया था कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 05.03.1993 के आदेश द्वारा (1993 की रिट याचिका संख्या 232 में) प्रत्यर्थी को साल दर साल सेवा जारी रखने की अनुमति दी थी। जहाँ तक

प्रतिवादी को देय वेतन का बकाया संबंधित है, एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी- सोसायटी को उत्तरदाता को 15,000 / रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया था यह प्रस्तुत किया गया था, कि उपरोक्त रु 15,000 / राशि का भुगतान अपीलार्थी- सोसायटी द्वारा प्रत्यर्थी को1993 में ही किया जा चुका था। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त राशि उससे वसूल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि प्रतिवादी उसे वापस करने की स्थिति में नहीं था। तत्काल मुद्दे पर विचारशील विचार करते हुए, हमारा विचार है कि उत्तरदाता द्वारा 1993 में भुगतान की गई उपरोक्त राशि, प्रत्यर्थी से वसूल नहीं की जानी चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक बृजेश कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।